उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्या– — /XXXVI-A-1/2021-1 चार–जे0/2002
देहरादूनः दिनांकः 28 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सरकार, विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 4.02, 5.02, 6.02, 10.01 तथा 10.02 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदावधि को विनियमित करने के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत **"उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदावधि के लिए सामान्य अनुदेश, 2016"** में निम्नानुसार संशोधन करते हुए सामान्य अनुदेश, 2021 जारी करती हैः–

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदावधि के लिए (संशोधित) सामान्य अनुदेश, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन सामान्य अनुदेश का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदावधि के लिए (संशोधित) सामान्य अनुदेश, 2021 है।

(2) यह संशोधित सामान्य अनुदेश, 2021 दिनांक 01.09.2021 से प्रभावी होगा।

पात्रता

3. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में विधि अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता होने वाले विधि व्यवसायियों के लिए निम्नलिखित पात्रता होना आवश्यक होगा, अर्थातः–

क्र0सं0	विधि अधिकारी का पदनाम	पूर्व में निर्धारित पात्रता	संशोधित पात्रता
उच्चतम न्यायालय			
1	अपर महाधिवक्ता	न्यूनतम 10 वर्ष उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो तथा उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता पदाभिहित हो या रहा हो।	न्यूनतम 10 वर्ष उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।
उच्च न्यायालय			
1	वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता	न्यूनतम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो तथा उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता पदाभिहित हो या रहा हो।	न्यूनतम 10 वर्ष उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।

क्रमशः.....2

2	अपर महाधिवक्ता	न्यूनतम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो तथा उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता पदाभिहित हो या रहा हो।	न्यूनतम 10 वर्ष उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।

2— उक्त सामान्य अनुदेश, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या–342 (1)/XXXVI-A-1/2021–1 चार–जे0/2002 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, जिला हरिद्वार को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख, परिनियम आदेश में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(आर0के0 श्रीवास्तव)
अपर सचिव